महत्वपूर्ण/तत्काल

संख्या- 04 /2019/820/46-3-19-3(03)/2018

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उ.प्र., लखनऊ।

2- प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि.,
लखनऊ।

3- प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि.
लखनऊ।

4- निदेशक,
उ.प्र. गन्ना शोध परिषद,
शाहजहांपुर।

5- निदेशक,
लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान,
लखनऊ।

6-प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. गन्ना (मध्य), बीज विकास निगम लि.,
लखनऊ।

7-प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. गन्ना (पश्चिम), बीज विकास निगम लि.,
मुजफ्फर नगर।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 02 मई, 2019

विषय- गन्ना विभाग के अधीन विभिन्न निगमों, परिषदों एवं संस्थाओं की भूमि व परिसम्पत्तियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर, उस पर किये जा रहे अवैध कब्जो को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि वर्तमान में शासन द्वारा विभिन्न स्तरों पर गठित एन्टी भू-माफिया टास्क फोर्स के माध्यम से ग्राम सभा व अन्य शासकीय भूमि/सम्पत्ति पर अवैध कब्जों की सूचना एवं उस पर भू-माफियाओं/अतिक्रमणकर्ताओं का चिन्हांकन कराते हुए, इनके विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से शासनादेश संख्या-616/1-2-2017-रा.-2-1(सामान्य)/2017, दिनांक 28 जुलाई, 2017 निर्गत किया गया है तथा भू-माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही की नियमित समीक्षा एवं कृत कार्यवाही का विवरण एन्टी भू-माफिया पोर्टल पर अपलोड किये जाने आदि के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- संज्ञान में लाया गया है कि चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के अधीन कार्यरत विभिन्न संस्थाओं यथा-उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ/उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ/उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर/लाल बहादुर गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र. लखनऊ/उ.प्र. गन्ना (मध्य) बीज विकास निगम, लखनऊ/उ.प्र. गन्ना (पश्चिम) गन्ना बीज विकास निगम लि., मुजफ्फर नगर की विभिन्न जनपदों में कतिपय ऐसी सम्पत्तियाँ है, जो विभिन्न कारणों से अभी तक सम्बन्धित गन्ना समितियों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं हो सकी हैं, जिसके कारण समितियों की ऐसी सम्पत्तियों को भू-माफियाओं/अनधिकृत तत्वों के द्वारा अवैधानिक रूप से कब्जा करने व परिसम्पत्तियों का दुरूपयोग किया जा रहा है। उक्त के दृष्टिगत उक्त संस्थाओं की सम्पत्तियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराये जाने की कार्यवाही की जानी आवश्यक है, जिससे भू-माफियाओं को उक्त संस्थाओं की सम्पत्तियों पर अवैध कब्जा करने का अवसर न प्राप्त हो तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासन की प्राथमिकता के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न जनपदों में अपनी संस्थाओं से संबंधित भूमि व परिसम्पत्तियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने एवं जिन परिसम्पत्तियों पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, उन्हें चिन्हित करते हुए सम्बन्धित परिसम्पत्तियों से अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में, जनपद/तहसील स्तर के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर, सर्वोच्च प्राथमिकता पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए कराने एवं पाक्षिक/मासिक अनुश्रवण भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संजय आर. भूसरेड्डी
प्रमुख सचिव।

संख्या-04 /2019/820(1)/46-3-19-3(03)/2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त परिक्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
6. समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कमल किशोर गुप्त
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in